भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2379

उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव

2379. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव अनियंत्रित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विरुद्ध भेदभाव की शिकायतों की जांच-पड़ताल के लिए विशेष रूप से समितियां या प्रकोष्ठ गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई)/ विश्वविद्यालय, स्वायत्त निकाय हैं जो अपने अधिनियमों और संविधियों, अध्यादेशों और उनके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा अभिशासित होते हैं। संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये विश्वविद्यालय किसी भी वर्ग के छात्रों के खिलाफ सभी प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव की रोकथाम सहित सभी प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जाति आधारित भेदभाव से संबंधित विभिन्न विश्वविद्यालय/कॉलेजों में रिपोर्ट किए गए मामलों की कुल संख्या क्रमश: 66 और 6 है। इन मामलों को विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा अपने- अपने अधिनियमों के तहत देखा और निपटाया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने सूचना दी है कि उन्हें एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर कई अनुदेश जारी किए हैं। हाल ही में, यूजीसी ने 26 जून, 2019 को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों/शिक्षकों और गैर- शिक्षण स्टाफ से प्राप्त भेदभाव की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति का गठन करने का परामर्श दिया है।

इस संबंध में, शुरू की गई मुख्य पहलें निम्नवत हैं:

(i) किसी भी वर्ग के छात्रों के प्रति भेदभाव एवं उत्पीड़न रोकने और शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में समानता संवर्धन) विनियम, 2012.

(ii) यूजीसी (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 बनाए हैं। इन विनियमों का आशय जाति के आधार पर भेदभाव की रोकथाम और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के हितों के रक्षोपायों के लिए संविधान के प्रावधानों और अन्य सांविधिक प्रावधानों एवं नीतियों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाना है। इन विनियमों में प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्था में समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के उन्नयन की भी व्यवस्था है।

(iii) विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को लाभ वंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और बाधाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी पात्र कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों को समान अवसर केन्द्रों की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य लाभवंचित समूहों हेतु नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना, उन्हें शैक्षिक, वित्तीय, सामाजिक तथा अन्य मामलों के संबंध में मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना और परिसर में विविधता को बढ़ाना है।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के हितों की संरक्षा के मद्देनजर विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना को भी अनुमोदित किया है।

(v) अन्य पहलों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए भेदभाव रोधी संकाय सलाहकार नियुक्त करने के प्रावधान भी हैं, जो सलाहकार छात्रों की समस्याओं को देखेंगे और तदनुसार, उन्हें परामर्श देंगे। व्यक्तिगत, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और परिवार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए छात्र काउन्सलर की नियुक्ति, खेलकूद और पाठ्येत्तर कार्यकलाप का प्रावधान, परामर्श केन्द्रों की स्थापना, व्यग्रता हेल्पलाइन का प्रावधान और रैगिंग, जाति, नस्ल, धर्म और महिला-पुरूष आदि आधारित भेदभाव संबंधी किसी भी शिकायत के मामले में तत्काल कार्रवाई करने के लिए अनुशासन कार्रवाई समिति का गठन करना भी शामिल है।

एआईसीटीई ने तकनीकी संस्थाओं में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम भी बनाए हैं:-

(i) एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों में अनुसूचित जाति के खिलाफ उत्पीडन और भेदभाव की संरक्षा के लिए सभी एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समिति (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (उत्याचार की रोकथाम) अधिनियम, 1989, दिनांक 11.09.1989, 1989 की सं. 33 के अनुसार) स्थापित करना आवश्यक है।

(ii) एआईसीटीई के नियमों के अनुसार, प्रत्येक (एआईसीटीई अनुमोदित) संस्थान को प्राप्त शिकायतों और समस्याओं की संख्या और की गई कार्रवाई को वेबसाईट पर अपलोड करने और मासिक ऑनलाईन स्थिति रिपोर्ट के जरिये एआईसीटीबी को अद्यतन करेगा।

(iii) यदि संस्थान (एआईसीटीई अनुमोदित) के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, शिकायत के मामलों का निपटान स्थापित एआईसीटीई के जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी) द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।

(iv) एआईसीटीई, एआईसीटीई नियमों के उल्लंघन के लिए ऐसे संस्थानों (एआईसीटीई अनुमोदित) के खिलाफ कार्रवाई करता है जैसाकि संबंधित वर्ष की अनुमोदन प्रक्रिया हस्तपुस्तिका (एपीएच) के अध्याय VII में उल्लेख किया गया है।

*****